

212  
2021

2021/310 पत्र-8

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, शाहपुर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

प्रशासन जानी के राज डेविमान-2021

883  
30/11/21

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... व भू.अ.नि. ..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ...../नायब तहसीलदार ..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... तहसील ..... जिला ..... की जमाबन्दी सम्बन्धित ..... में खाता संख्या ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	धकली	168	नन्ददास पुष्प	सुमिता उर्फ नन्ददास
2	सैफपुरा	198, 197	नन्दाराम	पुष्प नन्दाराम श्री 50000 धुता वि. 3 जमाबन्दी रहेगा।

(~~मन्मोहन~~)  
पीठासीन अधिकारी

उप लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
शाहपुर जिला जयपुर  
पदेन सहा.कलक्टर, शाहपुर

क्रमांक :- 884-85

दिनांक :- 30-11-21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

ए.ओ.क.  
30/11/2021

पीठासीन अधिकारी  
उप लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,  
शाहपुर